

दिल नंबर  
विषय का नाम

Form No.III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

प्रकरण सं. 970/2024 बनाम पी.एल. 97/24  
तारीख रजू. 25.2.25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
25.2.25	<p>वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की ओर दावा मय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जर्ज रजिस्टर्ड डाक सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक ..... को पेश हो।</p> <p>21.3.25</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़(अलवर)</p>	
21.3.25	<p>पत्रावली उपरुक्त हुके वकील वादी 34-1 पत्रावली वास्ते नम्बी कापिया जॉन 28.3.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	
28.3.25	<p>पत्रावली उपरुक्त हुके वकील वादी 34-1 पत्रावली वास्ते नम्बी कापिया जॉन 21.4.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	
21.4.25	<p>पत्रावली उपरुक्त हुके वकील वादी 34-1 वकील वादी पुनः प्रेष नम्बाना पेश हो। पत्रावली वास्ते नम्बी कापिया जॉन 15.5.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	

नम्बर  
अ  
जा

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय  
इनिशियल जज

15.5.25

पत्रावली पेशा हुई। (कौचवादी) 34-1  
पत्रावली वाले तलबी हेतु न्यायाधीश  
दिनांक 19.6.25 को पेशा हो।

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

19.06.25

पत्रावली पेशा हुई। तलबी वादी अनुपस्थित।  
पत्रावली शीर्षवाची से तलबी में बियातपीन हो।  
तलबी हेतु न्यायाधीश में अंतिम अखलर पदिया जाता है।  
दिनांक 05.7.25 को पेशा हो।

03.7.25

पत्रावली पेशा हुई। तलबी वादी अनुपस्थित।  
पत्रावली शीर्षवाची से तलबी में बियातपीन हो।  
तलबी हेतु न्यायाधीश में अंतिम अखलर पदिया जाता है।  
दिनांक 05.8.25 को पेशा हो।

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

05.8.25

पत्रावली पेशा हुई। तलबी वादी अनुपस्थित।  
पत्रावली शीर्षवाची से तलबी में बियातपीन हो।  
तलबी हेतु न्यायाधीश में अंतिम अखलर पदिया जाता है।  
दिनांक 12.8.25 को पेशा हो।

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

12.8.25

पत्रावली पेशा हुई। तलबी वादी अनुपस्थित। तलबी  
व उनके वादीगण को न्यायालय द्वारा अपात्र ठहराया  
गया। इसके अलावा तलबी व उनके वादीगण  
अस्थिर नहीं आए। अतः दावा तलबी व उनके  
वादीगण को अनुपस्थित में अदवा केरकी -  
अदवा हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
केसल शूमार लेकर नगद से कम हो। वादलकीन  
नाखिल इफ्त हो।

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०